

1-समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

2-समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान ।

विषय:- श्री केशो राय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, बूंदी के रिवर्स डेपुटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों पैतृक विभाग से कार्यमुक्त करने बाबत ।

उपरोक्त विषयात्सर्गत लेख है कि श्री केशो राय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, बूंदी के अधिशेष कर्मचारी जो कि आपके कार्यालय के अधिन चिकित्सा संस्थानों में वार्ड बॉय के पद के विरुद्ध रिवर्स डेपुटेशन पर कार्यरत है की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.3.09 के पश्चात नही बढाने का निर्णय वित्त (व्यय-4) एवं वित्त नियम विभाग द्वारा लिया गया है, जिसकी सूचना पूर्व में ही, निदेशालय के पत्रांक 1171 दिनांक 7.11.08 द्वारा आपको प्रेषित कर दी गई थी ।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि आपके अधिन चिकित्सा संस्थानों में उक्त संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत है, को दिनांक 31.3.09 तक आवश्यक रूप से पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवायें, साथ ही प्रमाण पत्र भिजवायें, कि वर्तमान में आपके अधिन कोई भी कर्मचारी रिवर्स डेपुटेशन पर कार्यरत नही है । निर्धारित अवधि के पश्चात यदि कोई कर्मचारी कार्यरत रहता है, तो विपरीत प्रभाव हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे साथ ही कार्यमुक्त कर्मचारियों की सूचना के साथ हुये रिक्त पदों एवं जिले में वार्ड बॉय/स्वीपर/चौक्रेकर्म0 कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूचना भी संस्थानुसार तैयार कर भिजवायें, ताकि रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सके ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर ।

क्रमांक:ई-12/एम/के.पा./ ( 14 )पार्ट-11/09/190

दिनांक:- 18/12/2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारीता विभाग, राज0जयपुर ।
- 4- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-3) विभाग, राज0जयपुर ।
- 5- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-4), राज0जयपुर ।
- 6- उप शासन सचिव, वित्त (नियम), राज0जयपुर ।
- 7- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
- 8- विधि सलाहकार, मुख्यालय ।
- 9- समस्त संयुक्त निर्देशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- को भेजकर निर्देश है कि आपके अधीन जिलों में कार्यरत उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को दिनांक 31.3.09 तक आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर पैतृक विभाग में भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट भिजवायें ।
- 10- रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, राज0जयपुर ।
- 11- अवसायक, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मील एवं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितिया, कोटा ।
- 12- समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान ।
- 13- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय कमरा नं0 302 को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करें ।

अति0 निदेशक(प्रशा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0जयपुर ।